

औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के क्रम में आवंटी द्वारा शून्य अवधि एवं अन्य सुविधाओं को प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन किए जाने का प्रारूप-

(1) कृपया हिन्दी में भरें

(2) (आवश्यकतानुसार पृथक आवेदन भी संलग्न करें)

सामान्य सूचनार्थ

1	भूखण्ड का विवरण	(क) भूखण्ड संख्या- (ख) सैक्टर-	
2	आवंटन पत्र के अनुसार	(क) आवंटन की तिथि (ख) क्षेत्रफल (ग) आवंटन - दर (घ) कुल प्रीमियम	
3	पट्टा प्रलेख के अनुसार	(क) पट्टा प्रलेख की तिथि (ख) क्षेत्रफल - (ग) आवंटन - दर - (घ) कुल प्रीमियम (ङ) पेमेंट प्लान के प्रारम्भ की तिथि - (च) पेमेंट प्लान के अन्त की तिथि - (छ) निर्माण की अवधि:	
4	कब्जा प्रमाण पत्र सम्बन्धी विवरण	(क) कब्जा प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल (ख) कब्जा प्रमाण पत्र की तिथि:	
5	मानचित्र एवं अधिभोग सम्बन्धी विवरण	(क) मानचित्र स्वीकृत कराये जाने की तिथि: (ख) स्वीकृत टावरों की संख्या: (ग) स्वीकृत यूनिटों की संख्या: (घ) स्वीकृत एफ0ए0आर0 (ङ) निर्मित एफ0ए0आर0 (च) अधिभोग/आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र की तिथि: (छ) अधिभोग प्राप्त टावरों की संख्या: (ज) अधिभोग प्राप्त यूनिटों की संख्या:	

(A) जीरो पीरियड से सम्बन्धित आवेदन हेतु वांछित सूचनार्थ

1	कब्जा सम्बन्धी विवरण:	(क) आवंटित क्षेत्रफल (ख) कब्जा प्राप्त क्षेत्रफल (ग) कब्जा प्रमाण पत्र की तिथि (घ) क्षेत्रफल जिस पर वास्तविक कब्जा न प्राप्त हो सका (ङ) कब्जा न मिल पाने की समयावधि दिनांक से दिनांक (च) कब्जा न मिल पाने का कारण (i) (ii) (छ) कब्जा न मिल पाने का साक्ष्य (i) (ii)	
---	-----------------------	---	--

	हुँच मार्ग सम्बन्धी विवरण:	(क) आवंटित क्षेत्रफल (ख) कब्जा प्राप्त क्षेत्रफल (ग) कब्जा प्रमाण पत्र की तिथि (घ) समयावधि जब पहुँच मार्ग की उपलब्धता नहीं थी। दिनांक से दिनांक	
3	न्यायालय के स्थगनादेश सम्बन्धी विवरण:	(क) वाद का नाम एवं वर्ष (ख) स्थगनादेश की तिथि (कृपया प्रतिलिपि संलग्न करें) (ग) स्थगनादेश समाप्त होने की तिथि (घ) स्थगनादेश से प्रभावित ग्राम का नाम, खसरा संख्या एवं क्षेत्रफल (ङ) उक्त क्षेत्रफल में से परियोजना में पड़ने वाला क्षेत्रफल	
4	शासनादेश/प्राधिकरण बोर्ड के आदेश सम्बन्धी विवरण जिसके परिप्रेक्ष्य में पट्टा प्रलेख न निष्पादित हो सका हो।		
5	क्या आवेदक द्वारा पूर्व में शून्य अवधि की मांग स्वीकृत की गई है? यदि हाँ तो प्रदत्त लाभ का विवरण।	(क) क्षेत्रफल जिस पर लाभ प्रदान किया गया हो। (ख) लाभ जो प्रदान किये गये हों। (i) (ii) (iii)	
6	क्या आवेदक द्वारा की गई शून्य अवधि की मांग पूर्व में निरस्त की जा चुकी है ? यदि हाँ तो पुनः मांग का विवरण तथा पुनः आवेदन करने का आधार (कृपया साक्ष्य संलग्न करें)		
7	अन्य विवरण / मांग, यदि कोई हो।		
8	माँगी गई शून्य अवधि प्रदान किए जाने से होम बायर्स को पहुँचाये जाने वाले लाभ का विवरण		

(B) विस्तारण शुल्क से सम्बन्धित आवेदन हेतु वाँछित अतिरिक्त सूचनाएँ

1	क्या पूर्व में निःशुल्क विस्तारण अवधि प्राप्त की गयी है, यदि हाँ, तो उसका विवरण	(क) समयावधि जिस पर निःशुल्क विस्तारण अनुमन्य किया गया हो। (ख) क्षेत्रफल जिस पर निःशुल्क समय विस्तारण अनुमन्य किया गया हो।	
---	---	--	--

	(ग) निःशुल्क समय विस्तरण अनुमन्य किए जाने की तिथि को अंश/क्षेत्रफल/एफ0ए0आर0 जिस पर प्राधिकरण द्वारा आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया गया।	
2	समय विस्तरण के लाभ हेतु आवेदन का विवरण (साक्ष्य सहित)	

(C) को-डेवलपर द्वारा अवरूद्ध परियोजनाओं को पूर्ण कराए जाने के प्रस्ताव से सम्बन्धित आवेदन हेतु वांछित सूचनाएँ

1	अवरूद्ध परियोजना के अपूर्ण रह जाने के समस्त कारणों को उल्लिखित करते हुए तथा को-डेवलपर द्वारा उन अवरोधों का समाधान किस प्रकार किया जायेगा का सम्पूर्ण विवरण प्रदान करते हुए निर्माण अवधि एवं देयताओं संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए विस्तृत डी0पी0आर0 अपेक्षित।	
---	--	--

(D) जून 2021 तक परियोजना पूर्ण करने के आश्वासन पर समय विस्तरण शुल्क से छूट प्राप्त किए जाने हेतु वांछित सूचनाएँ

1	प्राधिकरण द्वारा परियोजना पूर्ण करने की अनुमन्य अवधि	दिनांक.....से दिनांक.....	
2	परियोजना पूर्ण किए जाने हेतु विस्तृत डी0पी0आर0		

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

तिथि.....

परियोजना का नाम.....

पता:.....

फोन नंबर.....

ई-मेल:.....

शुधुतः कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित अनिवार्य रूप से संलग्न करेंः -

- (1) 30 जून 2021 तक परियोजना पूर्ण करने के आवेदन पत्रों में इस आशय का लिखित शपथ पत्र कि- इस नीति के अन्तर्गत जो भी सुविधा/लाभ आवंटी को प्राप्त होंगे उक्त से सम्बन्धित कोई भी धनराशि होम बायर्स से नहीं ली जाएगी।
- (2) आवंटी/विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण के बाइलाज के प्राविधानों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र दिनांक 31 मई 2021 तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा तथा प्राधिकरण द्वारा इंगित कमियों का निराकरण कर पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 30 जून 2021 तक प्राप्त कर लिया जाएगा।
- (3) विस्तृत डी0पी0आर0
- (4) क्षतिपूर्ति बंध पत्र